वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी गुरुग्राम

वन परिसर, सोहना रोड, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष–0124–2322057

कमांक 735-G दिनाकं:– 21/6/18

सेवा में, Executive Engineer,
Provincial Division No.II,
PWD B&R, Gurugram.

विषय:– **Diversion of 2.668 hac. Of forest land for Up- Gradation of arterial road from Umang Bhardwaj Chowk to NPR in Gurugram, under forest Division and District Gurugram (FP/HR/ROAD/33215/2018)**

सन्दर्भ:– आपका पत्र कमाकं 3048 दिनाकं 02.02.2018

उपरोक्त विषय के संबंध में आपके कार्यालय के सन्दर्भाकित पत्र द्वारा 2.668 है0 वन क्षेत्र को डाईवर्ट करने का प्रस्ताव डाईवर्शन हेतु लगाया गया है। निम्नहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 14.06.2018 तथा 15.06.2018 को वन राजिक अधिकारी, गुरूग्राम के साथ प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरिक्षण किया गया तो पाया गया कि डाईवर्ट होने उपरांत वन क्षेत्र के छोटे–2 तीन टुकड़े शेष रह जाते है जोकि ना तो पौधारोपण योग्य ही रह जाता है, ना ही किसी अन्य वन गतिविधि करते योग्य रहता है। खाडंसा सड़क का कुछ भाग(हीरो होडां चौक के पास) जोकि अधिसूचित सुरक्षित वन क्षेत्र है वह भी प्रस्तावित केस के डाईवर्शन में आता है।अतः इस सुरक्षित वन क्षेत्र को भी डाईवर्ट होने वाले वन क्षेत्र में सम्लित किया जाये। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत करवाया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान अनुसार यदि कोई प्रयोक्ता ऐजेंसी 1 है0 से अधिक वन क्षेत्र को डाईवर्ट करवाती है तो उन द्वारा डाईवर्ट करवाये जाने वाले वन क्षेत्र के बदले समकक्ष गैरवानिकी भूमि उपलब्ध करवाई जानी बनती है।अत: आपको लिखा जाता है कि आप प्रस्तावित क्षेत्र, बचे हुये वन क्षेत्र तथा खांडसा रोड का सुरक्षित वन क्षेत्र के बदले कुल गैरवानिकी भूमि वन विभाग को उपलब्ध करवाने का कष्ट करे। वन विभाग को उपलब्ध करवाई जाने वाली समकक्ष गैरवानिकी भूमि का **पूर्ण राजस्व अभिलेख (जैसे गांव का नाम, खसरा नम्बरान, जमाबन्दी, इंतकाल, अक्शशिजरा आदि)** इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें तदापोंरात ही आपके प्रस्ताव पर आगामी कार्यावाही अमल में लाई जानी बनती है।

वन मण्डल अधिकारी
गुरुग्राम।
21/6/18

पृ0कमांक/ 736-G दिनाकं/ 21/6/18

एक प्रति अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0 सी0 ए0 व कैम्पा), हरियाणा, पंचकूला, को भेजकर अवगत करवाया जाता है कि प्रयोक्ता एंजेसी द्वारा जो वन क्षेत्र डाईवर्ट करवाया जाना है वह भूमि Unclass forest है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान अनुसार जब तक प्रयोक्ता एजेंसी समकक्ष भूमि वन विभाग को उपलब्ध नही करवाती तब तक इस प्रस्ताव पर आगामी कार्यावाही करना नही बनता है।

वन मण्डल अधिकारी
गुरुग्राम।
21/6/18

21/6/2018